अ.म. हुमाल
सामील मं

न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राज0)

पीठासीन अधिकारीः श्री रोहिताश्व सिंह तोमर (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या 04/2024

बउनवान

जगन्नाथी उर्फ छोटीबाई आयु 68 वर्ष पुत्री गोप्या उर्फ गोपाल पत्नी नारायण जाति माली निवासी भगवानपुरा मांगरोल तहसील मांगरोल जिला बारां (अपीलांटा)

बनाम

1. गंगा पुत्री गोप्या उर्फ गोपाल पत्नी भंवरलाल जाति माली निवासी भगवानपुरा तहसील मांगरोल जिला बारां
2. सुन्दर पुत्री गोप्या उर्फ गोपाल पत्नी गोबरीलाल जाति माली (मृतक)

2/1 प्रभूलाल पुत्र गोबरीलाल जाति माली निवासी अयाना
2/2 छीतरलाल पुत्र गोबरीलाल जाति माली (मृतक)
2/2/1 चाहनाबाई पत्नी छीतरलाल
2/2/2 भीमराज पुत्र छीतरलाल
2/2/3 पूरण पुत्र छीतरलाल
2/2/4 देवेन्द्र पुत्र छीतरलाल
2/2/5 चमेली पुत्री छीतरलाल
2/2/6 कृष्णा पुत्री छीतरलाल जातियान माली निवासी अयाना तहसील इटावा जिला कोटा
2/3 मंगली पुत्री गोबरीलाल पत्नी छोटूलाल (मृतक)
2/3/1 श्योजी पुत्र छोटूलाल
2/3/2 महावीर पुत्र छोटूलाल
2/3/3 जितेन्द्र पुत्र छोटूलाल
2/3/4 चन्द्रकलां पुत्री छोटूलाल
2/3/5 नट्टीबाई पुत्री छोटूलाल
2/3/6 गायत्री पुत्री छोटूलाल
2/3/7 निर्मला पुत्री छोटूलाल जातियान माली निवासीगण अयाना
3 हीरालाल पुत्र नारायण (मृतक)
4. जमुनालाल पुत्र हीरालाल जाति माली
5 बाबूलाल पुत्र हीरालाल जाति माली
6. रामकिशन पुत्र हीरालाल जाति माली (मृतक)
6/1 संतोषबाई पत्नी रामकिशन
6/2 दिलखुश पुत्र रामकिशन जातियान माली
7. गोमदा पुत्र हीरालाल जाति माली निवासीगण सोरखण्डकलां तहसील अन्ता जिला बारां राज0
8. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार मांगरोल जिला बारां राज0 (रेंस्पोडेंटगण)

<u>अपील विरूद्ध इन्तकाल कमांक 3224 दिनांक 02.08.2023</u>

<u>अन्तर्गत धारा 75 एल.आर.एक्ट</u>

उपस्थिति :– 1. श्री ओमप्रकाश मेहता II एडवोकेट (अपीलांटा)
2. श्री हरिओम चर्तुवेदी एडवोकेट (रेस्पो.कम 1)
3. श्री ओम भारद्वाज एडवोकेट (रेस्पो. कम 4, 5, 6/1, 6/2 व 7)

<u>निर्णय दिनांक 21.10.2024</u>

अपीलांटा की ओर से जर्ये अभिभाषक प्रस्तुत अपील संक्षेप में इस प्रकार है कि तहसीलदार मांगरोल द्वारा बिना [illegible] डिकी दिनांक 30.05.2001 के आधार पर उक्त इंतकाल गलत आधारों पर प्राथमिक [illegible] सार खोला गया है जो विधि के प्रतिपादित सिद्धान्तों के विपरीत होने के का[illegible] जी खाता संख्या 1155 के खसरा नंबर 1959 रकबा 1.02 [illegible] उक्त इंतकाल [illegible]यालय उपखण्ड अधिकारी मांगरोल के प्रकरण संख्या 253/1997 पारित निर्ण[illegible] 30.05.2001 की पालना में खोला गया [illegible]कि डिक्री की

Signature Not Verified
Digitally signed by Rohitashva Singh Tomar
Date: 2024.11.12 10:13:00 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बारां (राज०)

मियाद 12 साल ही है फिर भी तहसीलदार मांगरोल द्वारा बिना अपीलांटा को सुनवाई का अवसर प्रदान किये मनमाना व विधि विरूद्ध उक्त नामांतकरण दर्ज किया गया है। विधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि न्यायालय द्वारा पारित डिक्री की मियाद 12 वर्ष है 12 वर्ष से अधिक होने पर डिक्री की कोई पालना किया जाना संभव नहीं है जबकि उक्त डिक्री दिनांक 30.05.2001 प्राथमिक डिक्री है इस प्रकार प्राथमिक डिक्री के आधार पर 12 वर्ष से अधिक समय के बाद खोला गया नामान्तकरण विधि के प्रतिपादित सिद्धांतो के विपरित होने के कारण काबिले निरस्तनीय है। अतः अपील प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपीलांटा स्वीकार की जाकर इंतकाल क्रमांक 3224 दिनांक 02.08.2023 को निरस्त फरमाये जाने के आदेश प्रदान किये जावे अन्य सहायता जो न्यायोचित हो प्रदान की जावे।

इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोंडेंटगण को जर्ये सम्मन तलब किया तथा अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख तलब किया गया। रेस्पो0 कम 1 तथा रेस्पो0 कम 4, 5, 6/1, 6/2 व 7 जर्ये पृथक पृथक अभिभाषकगण उपस्थित हुए। रेस्पो0 कम 2/1 निरन्तर स्वंय उपस्थित रहा। शेष रेस्पाडेन्टगण स्वंय उपस्थित होकर बाद में अनुपस्थित रहने पर उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख प्राप्त होने पर हमने प्रकरण बहस हेतु नियत किया।

दौराने बहस अभिभाषक अपीलांटा ने लिखित बहस इस आशय की पेश की कि डिक्री की पालनार्थ आदेश 21 नियम 11 से 18 तक में स्पष्ट किया गया है कि 2 वर्ष या उससे अधिक समय होने पर पक्षकारान को नोटिस जारी किया जाना आवश्यक है इसमें कोई इजराय पेश नहीं की गई है। न्यायालय द्वारा डिक्री की पालनार्थ कोई तहरीर जारी नही की गई है। इस प्रकार तहसीलदार मांगरोल द्वारा 22 वर्ष पश्चात एक प्रार्थना पत्र लेकर इन्तकाल खोला गया है। विधि दृष्टांत 2012(2) एससी में आदेश 21 नियम 11 में स्पष्ट है कि 12 वर्ष पश्चात डिक्री की कोई पालना नही की जा सकती है। इसी प्रकार 2022 आरआरटी (2) पेज 105 बउनवान महावीर बनाम सरवती आदेश 21 नियम 11 में भी स्पष्ट किया गया है कि डिक्री की पालनाा 12 वर्ष के अन्दर ही की जा सकती है उसके बाद नही की जा सकती। अपने कथन के समर्थन में अभिभाषक अपीलांटा ने उक्त विधिक दृष्टांतों का अवलोकन करवाया।

दौराने बहस अभिभाषक रेस्पोडेन्टगण ने कथन किया कि अपीलांटा ने माननीय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मांगरोल के प्रकरण संख्या 253/1997 में पारित प्राथमिक डिक्री दिनांक 30.05.2001 के विरूद्ध सक्षम न्यायालय में कोई अपील नहीं की तथा उक्त डिक्री की पालना में खोले गये इंतकाल के विरूद्ध हस्तगत अपील पेश की है। यदि अपीलांटा के अधिकार उक्त पारित डिक्री से प्रभावित हो रहे थे तो उसे सक्षम न्यायालय में न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मांगरोल द्वारा पारित प्राथमिक डिक्री के विरूद्ध चाराजोही करना चाहिये था। प्राथमिक डिक्री की पालना के सम्बन्ध में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नोटिस जारी किये गये हैं। अतः अपीलांटा की अपील खारिज फरमाई जावे।

हमने बहस उभयपक्ष पर मनन किया तथा सम्पूर्ण पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। सर्वप्रथम मियाद के बिन्दु पर विचारण किया गया। न्याय हित में प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को क्षम्य किया जाता है। नामान्तकरण कार्यवाही समरी ट्रायल एवं फिस्कल कार्यवाही है जिसके माध्यम से हक अधिकार का निर्धारण नहीं किया जा सकता। अपीलांटा को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मांगरोल द्वारा पारित प्राथमिक डिक्री दिनांक 30.05.2001 के विरूद्ध सक्षम न्यायालय में चाराजोही करना चाहिये था परन्तु अपीलांटा ने पारित डिक्री के विरूद्ध अपील नहीं की। ऐसी स्थिति में अपीलांटा द्वारा प्रस्तुत हस्तगत अपील सारहीन होना पाई जाती है।

अतः अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 21.10.2024 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रोहिताश्व सिंह तोमर)
जिला कलक्टर,बारां

Signature Not Verified

Digitally signed by Rohitashva Singh Tomar
Date: 2024.11.12 10:13:00 IST
Reason: SelfAttested